



THE STUDY
By Manikant Singh



फ्लोटिंग रेट ऋण

चर्चा में क्यों ?

- ❖ RBI द्वारा घोषणा की गयी कि वह समान मासिक किस्तों पर आधारित फ्लोटिंग रेट ऋणों को रीसेट करते समय पारदर्शिता और उचित नियमों की रूपरेखा लाएगा।

प्रमुख बिंदु

- ❖ RBI के अनुसार उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को एक उचित आचरण ढांचा लागू करना होगा।
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फ्लोटिंग रेट ऋणों की अवधि को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को सूचित किए बिना अवधि को रीसेट करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

फ्लोटिंग ब्याज दर, जिसे परिवर्तनीय या समायोज्य दर के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी प्रकार के ऋण साधन को संदर्भित करता है, जैसे कि ऋण, बांड, बंधक, या क्रेडिट, जिसमें साधन के जीवन पर ब्याज की कोई निश्चित दर नहीं होती है।

फ्लोटिंग ब्याज दरें आमतौर पर किसी भी वित्तीय कारक का बेंचमार्क, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बदलती हैं। फ्लोटिंग ब्याज दरों को लागू करने के लिए आधार के रूप में उपयोग की जाने वाली सबसे आम संदर्भ दरों में से एक लंदन इंटर-बैंक ऑफर रेट, या LIBOR (वह दरें जिस पर बड़े बैंक एक-दूसरे को उधार देते हैं) है।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

कारण

❖ उधारकर्ताओं की शिकायतों के अनुसार बैंक मनमाने ढंग से EMI बदलते या रीसेट करते हैं, और उन्हें सूचित किए बिना अवधि बढ़ा देते हैं।

❖ उधारकर्ताओं को फौजदारी शुल्क के बारे में भी सूचित नहीं किया जाता है।

❖ अवधियों को अनावश्यक रूप से लंबे

समय तक बढ़ाए जाने से बैंकों में तनाव छिपा हुआ है। सैद्धांतिक रूप से उधारकर्ता दूसरे बैंक में जाकर फ्लोटिंग रेट ऋण को पुनर्वित्त कर सकता है, लेकिन व्यवहार में यह अच्छी तरह से काम नहीं करता है।

❖ आंतरिक बेंचमार्क वाले विभिन्न बैंकों के फ्लोटिंग रेट ऋण समान नहीं होते हैं, भले ही ऋण उत्पत्ति के समय और भविष्य में स्प्रेड समान हों, यह देखते हुए कि विभिन्न बैंक आंतरिक बेंचमार्क को अलग-अलग तरीके से बदलते या रीसेट करते हैं।



RBI योजना क्या है?

❖ उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) द्वारा एक उचित आचरण ढांचा लागू करना होगा।

❖ उधारदाताओं को अवधि और/या ईएमआई को रीसेट करने पर उधारकर्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए, निश्चित दर वाले ऋणों पर स्विच करने या ऋणों की फौजदारी के विकल्प प्रदान करना चाहिए, इन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक विभिन्न शुल्कों का पारदर्शी खुलासा करना चाहिए, और कुंजी को ठीक से संवाद करना चाहिए।



- ❖ फ्लोटिंग रेट सिस्टम में ब्याज दरें बढ़ने पर बैंक लोन की अवधि बढ़ा देते हैं। कभी-कभी ईएमआई को समान स्तर पर बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। हालाँकि, कई बैंक उधारकर्ता को सूचित किए बिना अवधि बढ़ा रहे हैं और ईएमआई बढ़ा रहे हैं।

अन्य बैंको की राय

- ❖ बैंकों के अनुसार, जब एक बाहरी बेंचमार्क दर - बैंक अब रेपो दर का उपयोग करते हैं - को उधार दर तय करने के लिए अपनाया जाता है, तो रीसेट अवधि को अंतर्निहित बाहरी बेंचमार्क के कार्यकाल से जोड़ा जाना चाहिए।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669